26-9-25

अपरलोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त वैदप्रकाश बर जमानत उपस्थित। अभियुक्त अशोक, सोनू, प्रवीण, दिलीप, संतराम, आशा, राजेश देवी व माया देवी अनुपस्थित। आज की हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश हुई जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। गवाह अनुपस्थित। गवाह मुकेश कुमार को जरिये अपर लोक अभियोजक पाबन्द किए जाने के बावजूद आज न्यायालय में अनुपस्थित है। अतः उसे गिरफतारी वारण्ट से तलब किया जावे। पत्रावली में उक्त गवाह अन्तिम गवाह है व प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लक्षित प्रकरणों में से एक है। उक्त गवाह को बार–बार तलब किए जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः डीजी जयपुर को अर्द्धशासकिय पत्र के माध्यम से गवाह के व्यवहार के साथ तामिल हेतु भेजा जावे।

अधिवक्ता अभियुक्तगण श्री राजेश यादव जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी का जवाब पेश ना कर सीधी बहस करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की गवाह डा. आनन्द कुमार द्वारा आहत का इलाज एसएमएस में किया गया था जो साक्ष्य सूची में दर्ज होने से रह गया है दस्तावेजों में भी डा. आनन्द कुमार के हस्ताक्षर हैं। इसके जवाब में अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया की डा. आनन्द कुमार द्वारा आहत का इलाज किया गया हो ऐसा कोई कथन किसी अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है ना ही ऐसी कोई साक्ष्य हैं अतः प्रार्थना पत्र केवल विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है जिसे खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में एसएमएस अस्पताल के दस्तावेज संलग्न हैं जिन पर डा. आनन्द कुमार के हस्ताक्षर होना अपर लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है, जिसका अवलोकन भी अपर लोक अभियोजक द्वारा कराया गया। ऐसी परिस्थितियों में चूंकि घटनाक्रम में आहत को आई चोटों का इलाज डा. आनन्द कुमार द्वारा किया गया है अतः उसकी चोटों की गंभीरता को साबित करने के लिए उक्त गवाह को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गवाह का नाम लाल स्याही से अंकित किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। गवाह आनन्द कुमार को 5,000 रूपए बेलेबल वारण्ट से तलब किया जावे। तामिल पर स्पष्ट नोट अंकित हो की प्रकरण लक्षित पत्रावली है व अंतिम गवाह है अतः तामिल हर सूरत में दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनूरूप कराई जावे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन/जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2025 को पेश हो।

अपर सेशन न्यायाधीश
सीकर (राजस्थान)